



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-13.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैण्ट में पंजीकृत चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को दो वर्ष कारावास एवं 10000 का अर्थ दंड।

थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-417/22 धारा 379/411/413/414 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील बिन्द उर्फ सुनील सेट्टी पुत्र जितेन्द्र बिन्द निवासी अठखमवा थाना गोला सासाराम नगर जिला रोहतास बिहार को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-13.09.2024 को माननीय न्यायालय A/C मेन/ UPSEB वाराणसी द्वारा अन्तर्गत धारा 379 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु0 का अर्थदण्ड, 411 भा0द0वि0 में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व 1000 रु0 का अर्थदण्ड, 413 भा0द0वि0 दोषसिद्ध पाते दो वर्ष का कठोर कारावास व 3000 रु0 का अर्थदण्ड तथा 414 भा0द0वि0 दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।